13.02.2020

पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित। चुंकि इस प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित इसी के मूल वाद संख्या 125/2017 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट को आज सुनवाई के दौरान, खारिज कर निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित/शेष नही रह जाती है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी बाबत स्थगन में आगे की कार्यवाही को इस स्तर पर स्थगित कर, इसी के मूल वाद संख्या 125/2017 के साथ नत्थी किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]लियाकलाँ (भीलवाड़ा) राज